माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

कार्यालय–आदेश

क्रमांक :– मा.शि.बो./एसीए/2022/ T.012

दिनांक 11.02.-22

अति0 राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र क्रमांकः– रा. स्कू.शि.प./ जय/आईईडी/2021–22/6767 दिनांक 30.12.2021 एवं अध्यक्ष केन्द्रीय मा.शि. बोर्ड, दिल्ली के पत्र क्रमांक–CM/CBSC/2021 Dt. 08-11-2021 के द्वारा CWSN छात्र/छात्राओं के संदर्भ के अन्तर्गत प्रेषित पत्र तथा द्विव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT2016) में द्विव्यांगता की समस्त 21 श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा/शिथिलता के संबंध में बोर्ड वेबसाईट पर अपडेशन एवं मा.शि.बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध प्रावधानों तथा नये उपलब्ध करवायें जाने वाले प्रावधानों हेतु बोर्ड परीक्षा नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाते है।

01. दृष्टिबाधित छात्रों (L.V.) को मेगनिफाईंग ग्लास के उपयोग की अनुमति वर्ष 2022 की परीक्षा से प्रदत्त की जाती है।
02. बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 से केन्द्राधीक्षकों द्वारा विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को मौखिक दिये जाने वाले परीक्षा निर्देशों को परीक्षा कक्ष के ब्लैकबोर्ड पर भी लिखवाये जायेंगे।
03. बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 से दृष्टिबाधित छात्रों (V.I.) को टिंटेड ग्लासेस या कलर्ड ओवरले, अबेकस, ज्योमेट्रिक्स टूल्स, टॉकिंग केल्कूलेटर, टेलर फ्रेम उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी।
04. श्रवणबाधित छात्रों (H.I.) को नोईस कैंसिलेटिंग हैडफोन उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
05. कलर ब्लाईंडनेंस वाले छात्रों को परीक्षा निर्देश कलर नेमिंग सुविधायुक्त प्रदत्त किये जायेंगे।
06. विशेष योग्यजन (D & D) छात्रों के लिये साइनलेंग्वेज इंटरप्रेटर की नियुक्ति हेतु बोर्ड स्तर पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।
07. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों के लिये उनकी आवश्यकता एवं अनुकूलता अनुसार उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा विद्यार्थी को बोर्ड की प्रचलित उत्तर पुस्तिका में एक ओर स्केच पेन से कार्य करने का विकल्प प्रदान किया जायेगा।
08. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को उनके दिव्यांगता के दृष्टिगत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सहयोगी डिवाइसेज उपयोग में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
09. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को प्रायोगिक विषय की आवश्यकतानुसार लेब असिस्टेंट/प्रेक्टिकल असिस्टेंट प्रदान किये जा सकेंगे।
10. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को आवश्यकतानुसार केयर असिस्टेंट, प्रोम्पटर, कम्यूनिकेटर प्रदान किये जा सकेंगे।
11. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को चिकित्सा आवश्यकता के दृष्टिगत मेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति में परीक्षा दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. मुख्य परीक्षा के समय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में पूरक परीक्षा के अवसर पर CWSN छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जायेगा।
13. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को परीक्षा कक्ष में यदि आवश्यकता हो तो केयर गिवर की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
14. विशेष योग्यजन (CWSN) छात्रों को कुल उपस्थिति की 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकेगी।
15. दृष्टिबाधित (V.I.) एवं श्रवणबाधित छात्र/छात्राओं के राजकीय विशेष विद्यालयों को विशिष्ट परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा।
16. M.R. श्रेणी के दिव्यांगता के विद्यार्थी को परीक्षा के दौरान 5–5 मिनिट के दो रेस्ट ब्रेक दिये जा सकेंगे।

ये समस्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कार्यालय आदेश क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2017/टी–6032/04.09.2017 तथा कार्यालय आदेश क्रमांक : एसीए/मा.शि.बो./2018/टी–3168 दिनांक 10.05.2018 द्वारा और प्रपत्र 33 व 34 में प्रदत्त सुविधाऐं भी यथावत् रहेगी।

(मेघना चौधरी)
सचिव

क्रमांकः– मा.शि.बो./एसीए/2022 दिनांक ....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
03. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा विभाग, जयपुर।
04. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
05. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
06. उप शासन सचिव, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
07. निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
08. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर।
09. समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
11. संबंधित पत्रावली।

10/2/2022
(मेघना चौधरी)
सचिव